राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.4 (ई)(1)(6) नि.प. (2559/2013)/अलेसे— III/3126 दिनांकः— 14-03-2019

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 262 दिनांक 21.12.2017 के क्रम संख्या 18 पर अंकित श्री भारत भूषण पुत्र श्री अविनाश चन्द्र निवासी नजदीक राजा कोठी गेट, वार्ड नं. 19, हनुमानगढ़ टाउन—335513 मेरिट नं. 2559 रोल नं. 548544 को क.लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जा कर उनका पदस्थापन कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बालोतरा (बाड़मेर) में किया गया था, एवं उन्हें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में पदस्थापन कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करने के निर्देश प्रदान किये गऐ थे। किन्तु श्री भारत भूषण द्वारा उक्त आदेशों की पालना में निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया है एवं इस संबंध में ना ही कोई सूचना इस विभाग को प्रेषित की गई है एवं इनको क0लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने की अवधि में इस विभाग द्वारा अभिवृद्धि भी स्वीकृत नहीं की गई है।

श्री भारत भूषण को क0लेखाकार पद पर उपस्थिति देने के एकाधिक अवसर व नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी नियुक्ति आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित है कि अभ्यर्थी उक्त सेवा/पद पर कार्य करने की इच्छुक नहीं है। अतः नियमानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप श्री भारत भूषण के नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

14/3

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः— एफ.4 (ई)(1)(6) नि.प. (2559/2013)/अलेसे— III/3126 दिनांकः— 14-03-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष...।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. श्री भारत भूषण पुत्र श्री अविनाश चन्द्र निवासी नजदीक राजा कोठी गेट, वार्ड नं. 19, हनुमानगढ़ टाउन—335513 **(रजिस्टर्ड)**
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं coins में रिकार्ड संधारण हेतु।
7. संयुक्त निदेशक (विधि), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
9. श्री सुशील कुमार नाटाणी, अतिरिक्त प्रशासनिक आधिकारी, कोष एवं लेखा को ईकजाई रिकार्ड संधारण हेतु।
10. डीलिंग सहायक, वरिष्ठता सूची सीट।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—III)